

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>
<p>28/01/17</p>	<p>वकील प्रार्थी अंगुण प्रावली दिनांक 29/01/2017 को पेरा ले।</p> <p style="text-align: right;">शदि. विजा कलेक्टर, पाली</p>
<p>29/01/17</p>	<p>वकील प्रार्थी अंगुण प्रावली दि. आज को पेरा ले।</p> <p style="text-align: right;">शदि. विजा कलेक्टर, पाली</p>
<p>31/01/17</p>	<p>वकील प्रार्थी अंगुण वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के का.मु. के रिकॉर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पर पेरा नही किया है। अतः प्रावली वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु दि. 11/02/2017 को पेरा ले।</p> <p style="text-align: right;">शदि. विजा कलेक्टर, पाली</p>
<p>11/02/17</p>	<p>वकील प्रार्थी अंगुण वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के का.मु. के रिकॉर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पर पेरा नही किया है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता के अद्वि. 22 नियम 4(3) के अनुक्रम में प्रार्थना पर अपाए ले जाने से खारिज किया जाता है। ग्राम पंचायत कारेक्ट नोटिस जो वे प्रावली फॉरम में शुमार ले कर नम्बर से कम ले।</p> <p style="text-align: right;">शदि. विजा कलेक्टर, पाली</p>